

ग्रामीण सेवा शिविर-2025
कैम्प- बघार

07
20/9/25

रिपोर्ट पटवारी हल्का बघार... तहसील गिर्वा.....

प्रार्थनापत्र में अंकित खाता सं०, आराजी नम्बर एवं रकबा सही है। खाते में प्रार्थी खातेदार का नाम बरदा..... पिता लखमा..... दर्ज है।

खाते की नकल सलंगन है। ~~खाता सं. 207, 208~~

प्रार्थी का नाम दुरुस्त कर बरदा..... पिता लखमा.....

की जगह बरदीचन्द..... पिता लखमा..... किया जाना उचित होगा।
(गिरधर सिंह राजपूत)
पटवारी

हस्ताक्षर पटवारी बघार
तह- बघार, जिला-उदयपुर

उक्त खाते में खातेदार का नाम बरदा पिता लखमा.....

के बजाय बरदीचन्द पिता लखमा अंकित करने की सिफारिश की जाती है।

तहसीलदार गिर्वा उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा.....

आदेश अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

क्रमांक : राजस्व/अभियान/2025/1219

दिनांक : 17/3/2025

प्रार्थनापत्र में अंकित खाते के खातेदार का नाम दुरुस्त कर बरदा..... पिता लखमा..... के स्थान पर श्री बरदीचन्द..... पिता बरदा लखमा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही कर पालना प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी / प्रभारी अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार/नायब तहसीलदार गिर्वा गिर्वा उदयपुर की पालनाथी
2. प्रार्थी श्री
3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी / प्रभारी अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर